कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 08 /2013–14 दिनांक 11.04.13

शुद्धि पत्र/कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 शि0स0/सम्बद्धता/135/2012–13 दिनांक 25.03.2013 द्वारा **इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, दिल्ली मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर गाजियाबाद** को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्राइवेट बी0टी0सी0 के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिये सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

उक्त् आदेश की पांचवी पक्ति में उल्लिखित **"शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिये"** के स्थान पर **"शैक्षिक सत्र 2012–13 से"** पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 482–90 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़, गाजियाबाद।
8. सचिव/प्रबन्धक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, दिल्ली मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर गाजियाबाद।
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

9/4/13

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 135 /2012–13   दिनांक 25.03.13

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 757/15–11–2013 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 15.03.2013 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त **इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, दिल्ली–मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद** को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्राइवेट बी0टी0सी0 के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी है –

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होगें।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. संस्थान में शिक्षण कार्य सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित संकाय सदस्यों से ही कराया जाय। यदि किसी संकाय सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है तो उनके स्थान पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही कर पुनः अनुमोदन करा कर शिक्षण कार्य सम्पन्न कराए। चयनित संकाय सदस्यों के अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।

7. प्रश्नगत संस्था को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.03.2013 एवं दिनांक 09.03.2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012–13 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

(श्रीमती नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 6464-72 /2012–13 तद्दिनांक 21/3/13

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़, गाजियाबाद।
8. सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, दिल्ली–मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद।
9. गार्ड फाइल।

(श्रीमती नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद

17c
7/12/12

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ०प्र०,इलाहाबाद

आदेश सं० / शि०स० / सम्बद्धता / 48 / 2012–13 दिनांक 04-12-12

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक रा०शै० / निशिसं० / 29142–43 / 2012–13 दिनांक 29.11.2012 के साथ संलग्न शासनादेश सं० 3817 / 15–11–2012 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 23.11.2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं० 46768 / 2012 इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन बनाम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2012 के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, दिल्ली मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्राइवेट बी०टी०सी० के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011–12 के लिए सम्बद्धता बढ़ाई गयी है –

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होगें।
3. नेशनल बिलडिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों के अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होते ही 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.09.2012 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर सत्र 2011–12 के लिए 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। अग्रिम सत्र के पाठ्यक्रम संचालन हेतु संस्थान द्वारा बिन्दु संख्या –6 की पूर्ति कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

अतः उपरोक्त का निराकरण कर एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली, निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 लखनऊ तथा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा अगले सत्र की सम्बद्धता पर विचार किए जाने पर वैधानिक कठिनाई होगी।

B. Shikshaarthi 4.12.12

(सुश्री भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 4113-21 /2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़, गाजियाबाद।
8. सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, दिल्ली मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद।
9. गार्ड फाइल।

B. Shikshaarthi 4.12.12

(सुश्री भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद

कार्यालय, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/निजी बी0टी0सी0/ 98 /2010–11 दिनांक 30.12.2010

सम्बद्धता आदेश

शासनादेश सं0 2115–15–11–09–1499(184)/2002 दिनांक 25.11.2009 एवं शासनादेश सं0 85–15–11–2010 दिनांक 18.01.2010 के परिप्रेक्ष्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में अपने आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो आपके संस्थान को शैक्षिक सत्र 2010–11 से सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तदनुसार निरीक्षण पैनल की आख्या के आधार पर शासनादेश सं0 1975/15–11–2010 शिक्षा अनुभाग–11 दिनांक 30.11.2010 तथा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के पत्रांक रा0शै0/निशिसं0/24761/2010–11 दिनांक 13.12.2010 के अनुक्रम में **इंस्टीट्यूट आफ टीचर, एजूकेशन, दिल्ली मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद** को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइवेट बी0टी0सी0 के संचालन हेतु दी गई मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010–11 से एक वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानको के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानको एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरणं दिया गया है उसमे राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मान्यता के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी चार्ज , परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.06.2010 व 30.06.2010 के कार्यवृत्त में संस्था के सम्बन्ध में इंगित की गयी तालिका की अपूर्ण शर्त यथा – भूमि संस्था के नाम नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हेतु भूमि का सीमांकन नहीं है, आवेदित कोर्स हेतु निर्मित क्षेत्र मानक से कम है, आवेदित कोर्स हेतु संकाय सदस्यों का अनुमोदन नहीं है, एन0सी0टी0ई0 से निर्गत मान्यता पत्र में लगे प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की गयी है, को संस्था द्वारा माह अप्रैल, 2011 तक पूर्ति कर सम्बद्धता बनाये रखने/अग्रिम सत्र के पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7. उपरोक्त् सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

उपरोक्त् का निराकरण कर एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली, एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद को अतिशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें तथा सम्बद्धीकरण शर्तो के सम्बन्ध में लिखित सहमति प्रस्तुत करें।

B. Shikshārthi 30.12.10

(भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0स0 शि0स0/निजी बी0टी0सी0/ 1745-57/2010–11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।
7. अध्यक्ष, एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय समिति ए.–46 शांतिपथ तिलक नगर जयपुर(राजस्थान)।
9. प्रबन्धक/सचिव, इंस्टीट्यूट आफ टीचर, एजूकेशन, दिल्ली मेरठ रोड, कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद। (पंजीकृत)
10. संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ, मण्डल मेरठ।
11. प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान,हापुड, गाजियाबाद।
12. गार्ड फाइल।

B. Shikshārthi

(भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।